



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांक:-
सेवा में,

24/25 बजट (प्रतिकर भुगतान-रा0सं0)/2019-20

दिनांक:- 03.07.2019

✓ अधिशासी अभियन्ता (आहरण एवं वितरण अधिकारी),
प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/रा0रा0मा0 खण्ड
लोक निर्माण विभाग,

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसं0-22, ले0शी0-5054 (पूँजीगत) भू-अर्जन, भूमि प्रतिकर तथा क्षतिप्रतिकर भुगतान मद के अन्तर्गत आवंटन।

सन्दर्भ:-

(1) शासनादेश संख्या-1788/111 (2)/19-04 (बजट)/2019 दिनांक-15.04.2019

(2) सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-132/XXVII(6)/430/एक /2008/2019 दि0-29.03.2019

(3) सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-129/XXVII(6)/430/एक /2008/2019 दि0-29.03.2019

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 15.04.2019 (क्र0सं0 1) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक- 5054-04-337-04-00-24 (पूँजीगत) भू-अर्जन, भूमि प्रतिकर भुगतान मद के अन्तर्गत प्राविधानित बजट ₹ 30.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेशों (क्र0सं0 2 एवं 3) के द्वारा प्रदेश में दि0 01.04.2019 से एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली, आई0एफ0एम0एस0 (IFMS) लागू किये जाने के क्रम में एवं फील्ड अधिकारियों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत सूचित धनावंटन की माँग के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में संलग्न सूची के अनुसार विभागीय अधिशासी अभियन्ताओं/आहरण वितरण अधिकारियों को 37 प्रकरणों में भू-अर्जन, भूमि प्रतिकर तथा क्षतिप्रतिकर भुगतान हेतु प्रकरणवार/खण्डवार कुल ₹ 5.4349606 करोड़ (₹ पांच करोड़ तैतालिस लाख उड़नपचास हजार छः सौ छः मात्र) की धनराशि निम्न वर्णित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

आवंटन की शर्तें (1) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं के द्वारा संलग्न सूची के अनुसार आवंटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कास्तकारों/पक्षों को दिनांक 29.02.2020 से पूर्व नियमानुसार एवं प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा, किसी भी दशा में आवंटित धनराशि न तो लैप्स की जायेगी और न ही सृजित वित्तीय दायित्व अगले वित्तीय वर्ष हेतु अवशेष रखे जायेंगे।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के द्वारा प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आवंटित धनराशि का प्राविधान सम्बन्धित कार्यों/मार्गों के मूल आगणन में सम्मिलित नहीं था और न ही उक्त प्रतिकर भुगतान हेतु किसी अन्य योजना/मद में सम्बन्धित प्रतिकर भुगतान के लिये वित्तीय उपलब्धता थी।

(3) आवंटित धनराशि का निर्धारित समयान्तर्गत भुगतान न किये जाने, धनराशि लैप्स किये जाने, डुप्लीकेट भुगतान, दरों से अधिक भुगतान तथा नियमविरुद्ध किये गये भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

(4) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

(5) उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों में निहित समस्त शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक 5054 सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-04 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 00-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्न: (1) मार्गवार/कार्यवार आवंटन सूची (4 पृष्ठ)

(2) डी0डी0ओ0 वार निर्गत अलोटमेंट आईडी(1नं0)

आई.टी.वर्क

मद को त्रय

संलग्नक विभागीय

वेबसाइट में

upload किये

जाने के साथ-2

समस्त अधिशासी

अभियन्ताओं/अधीक्षक

अभियन्ताओं को

ई-मेल भी करते

का कष्ट करें।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।

अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्या0/रा0रा0मा0/मुख्य अभियन्ता, वर्ल्ड बैंक कार्या0, लोक निर्माण विभाग.....।

अधीक्षक अभियन्ता, सिविल/रा0रा0मा0/वर्ल्ड बैंक वृत्त लोक निर्माण विभाग

अधिशासी अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट को सूचनार्थ एवं अग्रतत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी.....।

संलग्न: डी0डी0ओ0 वार निर्गत अलोटमेंट आईडी(1नं0)

3/7/19

(पी0के0 जोशी)

वित्त नियंत्रक,

3.7.2019

वित्त नियंत्रक,

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

पत्र संख्या 24/25 बजट (प्रतिकर भुगतान-रा0से0)/2019-20 दिनांक 03/07/2019 का संलग्नक।
 वित्तीय वर्ष 2019-20 में सड़कों तथा सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू-अर्जन एवं क्षति प्रतिकर आदि के भुगतान हेतु प्रस्तावित आवंटन।

अनुदान संख्या- 22,

लेखाशीर्षक 5054-04-337-04-00-24

(पूँजीगत)

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	मार्ग/प्रकरण का नाम	खण्ड का नाम	अनुमोदन/स्वीकृति का संदर्भ	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जनपद देहरादून में जौलीग्रंट-थानों-रायपुर-सहस्रधारा मोटर मार्ग के किमी० 14.00 में 75.00मी० स्पान, आर०सी०से० सेतु के निर्माण हेतु अर्जित भूमि का प्रतिकर भुगतान। (कुल अनुमोदित धनराशि रु० 6615000/- खण्ड स्तर पर डिपोजिट में पूर्व से उपलब्ध धनराशि रु० 1379125.00/- खण्ड को अब देय धनराशि रु० 5235875.00)	अ०ख०, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 रा०रा०मा० एवं सेतु (गढ़वाल क्षेत्र) लो०नि०वि०, देहरादून का देहरादून का पत्र सं०-1650/119-रा०मा०-(उ०)/2019दि० 20.06.2019।	5235875.00	5235875.00
2	जनपद टिहरी गढ़वाल में मालदेवता से रंगडगांव गन्धक पानी मोटर मार्ग (किमी० 7.00 तक) के निर्माण कार्य हेतु अध्याप्त भूमि का प्रतिकर भुगतान। (8 काश्तकारों की अधिग्रहित भूमि का भुगतान)	अ०ख०, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	अधीक्षण अभियन्ता, 9वाँ वृत्त लो०नि०वि०, देहरादून का पत्र सं०-552/15(1)सी०-9/19 दि० 15.02.2019	8909250.00	4500000.00
3	जनपद देहरादून में विकास खण्ड डोईवाला के अन्तर्गत इठारना से देवली तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु काश्तकारों से आपसी समझौते के अन्तर्गत भूमि का प्रतिकर भुगतान। (9 पक्ष/काश्तकारों की अधिग्रहित भूमि का भुगतान)।	अ०ख०, लो०नि०वि०, ऋषिकेश	अधीक्षण अभियन्ता, 9वाँ वृत्त लो०नि०वि०, देहरादून का पत्र सं०-711/15(1)सी०-9/19 दि० 01.03.2019	6648200.00	3500000.00
4	जनपद उत्तरकाशी में धौन्तरी-कमद-अयारखाल-बूढ़ाकेदार मोटर मार्ग के निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त खेतों का प्रतिकर भुगतान।	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-4570/84सी०-06/2018 दि० 28.02.2019	1327742.00	1327742.00
5	जनपद उत्तरकाशी में उत्तरकाशी-घनसाली-तिलवाड़ा राज्यमार्ग सं०-15 के किमी० 45 के क्रा०से०-44/33-34 से मट्टी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में अध्याप्त भूमि एवं निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि फसल आदि का प्रतिकर भुगतान।	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-4571/84सी०-06/2018 दि० 28.02.2019	4175094.00	2000000.00
6	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में बाँगा-भैलूड़ा-अलेथ मोटर मार्ग के किमी० 1 से 4 तक अवशेष भूमि, का प्रतिकर भुगतान।	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, भटवाड़ी	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-1162/97सी०-06/2019 दि० 27.03.2019	43780.00	43780.00
7	जनपद उत्तरकाशी में छैजुला-कोटधार-तराकोट मोटर मार्ग के निर्माण से श्री मोहन लाल पुत्र श्री कमलु लाल, ग्राम छैजुला के क्षतिग्रस्त पनचक्की का प्रतिकर भुगतान।	नि०ख०, लो०नि०वि०, चिन्गलीसौड़	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-893/90सी०-06/2019 दि० 07.03.2019	15800.00	15800.00
8	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा यमुनोत्री के विकासखण्ड चिन्गलीसौड़ के अन्तर्गत धरासू-पुल से दिखोली अदनी रौतल मोटर मार्ग का विस्तार कार्य में अध्याप्त भूमि का प्रतिकर एवं क्षतिग्रस्त वृक्षों का क्षतिप्रतिकर भुगतान।	नि०ख०, लो०नि०वि०, चिन्गलीसौड़	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-5272/90सी०-06/2018 दि० 26.03.2019	6788046.00	3500000.00
9	जनपद उत्तरकाशी में धरासू-जोगथ मोटर मार्ग के किमी० 01 में श्री राजेन्द्र प्रसाद थपलियाल पुत्र श्री महेशानन्द थपलियाल, भवन स्वामी का प्रतिकर भुगतान।	नि०ख०, लो०नि०वि०, चिन्गलीसौड़	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-1171/90भवन-6/2019 दि० 27.03.2019	414000.00	414000.00
10	जनपद उत्तरकाशी में धरासू-जोगथ मोटर मार्ग के किमी० 01 व 02 में भारी वर्षात एवं मार्ग सुधार के कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि का प्रतिकर भुगतान।	नि०ख०, लो०नि०वि०, चिन्गलीसौड़	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-5892/90सी०-06/2018 दि० 26.03.2019	752940.00	752940.00
11	जनपद उत्तरकाशी नौगांव-पौन्दी-राजगढ़ी मोटर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) के किमी० 22.00 में स्कपर बंद होने से श्री रामशरण सेमवाल के क्षतिग्रस्त भवन का प्रतिकर भुगतान।	नि०ख०, लो०नि०वि०, तराकोट	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०-1434/65सी०-06/2019 दि० 02.04.2019	445000.00	445000.00

2.7.2019

पत्र संख्या 24/25 बजट (प्रतिकर भुगतान-रा0से0)/2019-20 दिनांक 03/07/2019 का संलग्नक।
 वित्तीय वर्ष 2019-20 में सड़कों तथा सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू-अर्जन एवं क्षति प्रतिकर आदि के भुगतान हेतु प्रस्तावित आवंटन।

अनुदान संख्या- 22,

लेखाशीर्षक 5054-04-337-04-00-24 (पूँजीगत)

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	मार्ग/प्रकरण का नाम	खण्ड का नाम	अनुमोदन/स्वीकृति का संदर्भ	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
12	जनपद उत्तरकाशी में गातू से केवल गांव मताड़ी होते हुए खिरमू तक मोटर मार्ग निर्माण से नाप भूमि एवं भूमि दबान व वृक्षों का प्रतिकर भुगतान।	नि०ख०, लो०नि०वि०, बडकोट	अधीक्षण अभियन्ता, छठवें वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०- 4562/85सी०-06/2018 दि० 27.03.2019	4183150.00	2000000.00
13	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला में पुरोला बाजार से कमल नदी के साथ गुन्दियाट गांव मोटर मार्ग निर्माण में पूर्व में छुटी अध्याप्त/क्षतिग्रस्त भूमि फसल एवं वृक्षों का प्रतिकर भुगतान।	नि०ख०, लो०नि०वि०, पुरोला	अधीक्षण अभियन्ता, छठवें वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी का पत्र सं०- 739/86सी०-06/2018 दि० 02.04.2019	1506063.00	1506063.00
14	घण्टाकर्ण ग्राम समूल पम्पिंग पेयजल योजना की क्षतिग्रस्त पाईप लाईन का पुनः निर्माण कार्य।	नि०ख०, लो०नि०वि०, नरेन्द्रनगर	अधीक्षण अभियन्ता, 8वें वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी का पत्र सं०-951/01(1)याता०-8/2019दि० 12.03.2019	1475000.00	1475000.00
15	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अंतर्गत देवलधार-चमोलगांव मोटर मार्ग के किमी० 3.00 के नीचे मोटर मार्ग के निर्माण से क्षतिग्रस्त ग्रामसभा चमोलगांव की सिंचाई गूल की क्षतिपूर्ति का भुगतान।	नि०ख०, लो०नि०वि०, नरेन्द्रनगर	अधीक्षण अभियन्ता, 8वें वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी का पत्र सं०-2449/161 (3) सी०-8/2019 दि० 15.05.2019	270000.00	270000.00
16	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अंतर्गत नरेन्द्रनगर-रानीपोखरी मोटर मार्ग से ग्राम डागर मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.250 किमी० में दबान एवं क्षतिपूर्ति भुगतान।	नि०ख०, लो०नि०वि०, नरेन्द्रनगर		3325000.00	1500000.00
17	जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक के अंतर्गत मसोन-काण्डी-मेलगढ़ मोटर मार्ग पर भूमि, फसल/वृक्ष व दबान का प्रतिकर भुगतान।	अ०ख०, लो०नि०वि०, थत्यूड़	अधीक्षण अभियन्ता, 8वें वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी का पत्र सं०-2010/161(5)सी०-8/2019 दि० 02.05.2019	665000.00	665000.00
18	जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक के अंतर्गत थत्यूड़-कैम्पटी मोटर मार्ग पर भूमि, दबान/फसल पेड़ों का क्षतिपूर्ति प्रतिकर भुगतान।	अ०ख०, लो०नि०वि०, थत्यूड़	अधीक्षण अभियन्ता, 8वें वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी का पत्र सं०-1400/161(5)सी०-8/2019 दि० 26.04.2019	1020000.00	1020000.00
19	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में घनसाली-भीरी पैदल मार्ग के किमी० 16.00 में श्री ओमप्रकाश बड़ोनी के आवासीय भवन का प्रतिकर भुगतान।	अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली	अधीक्षण अभियन्ता, 8वें वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी का पत्र सं०-1079/161(4)सी०-8/2018 दि० 27.02.2019	298000.00	298000.00
20	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मूलगढ़ ठेला थार्ती मोटर मार्ग के किमी० 03 क्रॉ०से० 2/38-2/39 में श्री भीम सिंह पुत्र श्री सते सिंह के भवन का क्षतिप्रतिकर भुगतान।	अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली	अधीक्षण अभियन्ता, 8वें वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी का पत्र सं०-1176/161(4)सी०-8/2019 दि० 12.03.2019	548000.00	548000.00
21	राज्य योजना के अंतर्गत बडियार-पंगरियाणा-कटूड़-चांजी मोटर मार्ग के किमी० 05 में (श्री विनोद प्रसाद भट्ट) गौशाला के प्रतिकर का भुगतान।	अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली	अधीक्षण अभियन्ता, 8वें वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी का पत्र सं०-483/161(4)सी०-8/2019 दि० 07.03.2019	61000.00	61000.00

3-7-2019

पत्र संख्या 24/25 बजट (प्रतिकर भुगतान-रा0से0)/2019-20 दिनांक 03/07/2019 का संलग्नक।
 वित्तीय वर्ष 2019-20 में सड़कों तथा सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू-अर्जन एवं क्षति प्रतिकर आदि के भुगतान हेतु प्रस्तावित आवंटन।

अनुदान संख्या- 22,

लेखाशीर्षक 5054-04-337-04-00-24

(पूँजीगत)

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	मार्ग/प्रकरण का नाम	खण्ड का नाम	अनुमोदन/स्वीकृति का संदर्भ	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
22	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में रानीगढ़-लैणी-बुडवा-सौड़ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पर भवन प्रतिकर/क्षति प्रतिकर का भुगतान।	अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली	अधीक्षण अभियन्ता, 8वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी का पत्र सं०-2297/161(4)सी०-8/2019 दि० 14.05.2019	272000.00	272000.00
23	जनपद चमोली में राज्य योजना के अंतर्गत कनकचौरी-पोगठा-रौंता मोटर मार्ग (किमी० 0.75 से 2.25) के निर्माण से ग्राम पोगठा के कास्तकारों की नाप भूमि का प्रतिकर भुगतान।	नि०ख०, लो०नि०वि०, पोखरी	अधीक्षण अभियन्ता, 7वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर का पत्र सं०-397/149यातायात-07/2019 दि० 01.02.2019	350000.00	350000.00
24	जनपद चमोली में राज्य योजना के अंतर्गत उज्जवलपुर-बैनोली मोटर मार्ग से ऐरोली तक मोटर मार्ग नव निर्माण से ग्राम ऐरोली के कास्तकारों की नाप भूमि का प्रतिकर भुगतान।	अ०ख०, लो०नि०वि०, गौचर	अधीक्षण अभियन्ता, 7वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर का पत्र सं०-969/282यातायात-07/2019 दि० 06.03.2019	8496000.00	4500000.00
25	रा०मा० सं०-107 (रूद्रप्रयाग-गौरीकुण्ड) के ग्राम नकोट बनियाडी में क्षतिग्रस्त मार्ग के पुर्ननिर्माण हेतु अधिग्रहित भवन का मुआवजा भुगतान के संबंध में।	रा०मा०, लो०नि०वि०, रूद्रप्रयाग	मुख्य अभियन्ता, रा०मा० एवं सेतु (ग०क्ष०), लो०नि०वि०, देहरादून का पत्र सं०- 440/17रा०मा०-(उ०)/2019 दि० 08.02.2019	3500280.00	3500280.00
26	बालीघाट-पन्द्रहपाली मोटर मार्ग के किमी० 2 से छौना तक मोटर मार्ग निर्माण (कारगिल शहीद चन्द्रशेखर मिश्रा) में अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर-भुगतान। (विगत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त प्रकरण में कुल वांछित धनराशि रु० 1542000.00 के सापेक्ष खण्ड को रु० 731000.00 का आवंटन किया गया है)	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, बागेश्वर	अधिशायी अभियन्ता, प्रा०ख०, लो०नि०वि०, बागेश्वर का पत्र सं०- 380/3ई० दि० 14.02.2019	811000.00	811000.00
27	जनपद पिथौरागढ़ में कैलाश आश्रम से सुवाकोट मोटर मार्ग में पड़ने वाली नापभूमि का प्रतिकर भुगतान।	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ का पत्र सं०- 206/926सी०-03/2019 दि० 28.01.2019	548888.00	548888.00
28	जनपद पिथौरागढ़ में ऐंचोली से स्यूनी तोली मोटर मार्ग में पड़ने वाली नापभूमि का प्रतिकर भुगतान।			6080812.50	3000000.00
29	जनपद पिथौरागढ़ में तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग किमी० 24 पोंगू से जी०आई०सी० होकर रिमझिम बैंकू तन्तागाँव मोटर मार्ग से प्रभावित कास्तकारों के नापभूमि पर फसल क्षति का प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।	नि०ख०, लो०नि०वि०, अस्कोट	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ का पत्र सं०- 1019/38सी०-03/2019 दि० 04.04.2019	79877.00	79877.00
30	जनपद पिथौरागढ़ में तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग किमी० 24 पोंगू से जी०आई०सी० होकर रिमझिम बैंकू तन्तागाँव मोटर मार्ग से प्रभावित कास्तकारों के नापभूमि पर क्षतिग्रस्त फलदार वृक्षों का क्षतिप्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।	नि०ख०, लो०नि०वि०, अस्कोट	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ का पत्र सं०- 1021/38सी०-03/2019 दि० 05.04.2019	563500.00	563500.00
31	जनपद पिथौरागढ़ में कालीविनायक जाबुकाथल हजेती मोटर मार्ग, लम्बाई 12.00 किमी० में प्रभावित नाप भूमि में फलवृक्षों की क्षति का प्रतिकर भुगतान।	अ०ख०, लो०नि०वि०, बेरीनाग	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ का पत्र सं०- 397/926 सी०-03/2019 दि० 12.02.2019	8064939.00	4000000.00
32	जनपद पिथौरागढ़ में पॉखू कोटगाडी मोटर मार्ग लम्बाई 2.500 किमी० में प्रभावित नापभूमि, फसल क्षति एवं फलवृक्षों की क्षति का प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।	अ०ख०, लो०नि०वि०, बेरीनाग	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ का पत्र सं०- 396/926 सी०-03/2019 दि० 12.02.2019	543835.00	543835.00

24/07/2019

वित्तीय वर्ष 2019-20 में सड़कों तथा सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू-अर्जन एवं क्षति प्रतिकर आदि के भुगतान हेतु प्रस्तावित आवंटन।

अनुदान संख्या- 22,

लेखाशीर्षक 5054-04-337-04-00-24

(पूँजीगत)

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	मार्ग/प्रकरण का नाम	खण्ड का नाम	अनुमोदन/स्वीकृति का संदर्भ	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन
1	2	3	4	5	6
33	अटल आर्दश योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में गणाई बनकोट मोटर मार्ग किमी० 5.00 से नायल मोटर मार्ग के निर्माण से क्षतिग्रस्त नापभूमि का प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।	अ०ख०, लो०नि०वि०, बेरीनाग	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ का पत्र सं०- 886/926 सी०-03/2019 दि० 18.03.2019	300456.00	300456.00
34	जनपद पिथौरागढ़ में पोखरी-चौली-खुलेत-चण्डिकाघाट मोटर मार्ग किमी० 0.00 से 6.00 तक ली गयी नापभूमि का प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।	अ०ख०, लो०नि०वि०, बेरीनाग	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ का पत्र सं०- 210/926 सी०-03/2019 दि० 29.01.2019	3091079.00	1500000.00
35	जनपद चम्पावत-मंच-तामली मोटर मार्ग के किमी० 52.00 एवं 53.00 में प्रभावित कास्तकारों के प्रभावित नाप भूमि का भूमि भुगतान।	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत	अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो०नि०वि०, चम्पावत का पत्र सं०- 1685/171सी०-सि०वृ०चम्पा०/2018 दि० 21.12.2018	6402560.00	3000000.00
36	जनपद पिथौरागढ़ के तहसील डीडिहाट के अन्तर्गत विश्व बैंक खण्ड, मुनस्यारी के द्वारा ग्राम खोजा के पास खोजा नदी के ऊपर झूला पुल के निर्माण हेतु की प्रस्तावित नाप भूमि (0.173 है०) का प्रतिकर भुगतान। (विश्व बैंक खण्ड से सम्बन्धित कार्य)	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, डीडिहाट	अधिशाली अभियन्ता, प्रा०ख०, लो०नि०वि०, डीडिहाट, (पिथौरागढ़) का पत्र सं०- 115/03 सी० दि० 17.01.2019	139870.00	139870.00
37	जनपद बागेश्वर के तहसील कपकोट के अन्तर्गत विश्व बैंक खण्ड, मुनस्यारी के द्वारा ग्राम भकुना-नाची में मोटर पुल के निर्माण हेतु ग्राम भकुना में प्रस्तावित नाप भूमि (0.110 है०) का प्रतिकर भुगतान। (विश्व बैंक खण्ड से सम्बन्धित कार्य)	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, डीडिहाट	अधिशाली अभियन्ता, प्रा०ख०, लो०नि०वि०, डीडिहाट, (पिथौरागढ़) का पत्र सं०- 116/03 सी० दि० 17.01.2019	161700.00	161700.00
	योग उत्तराखण्ड (क्र०सं० 1 से 37 तक)			87513736.50	54349606.00

25 बजट शीट-03 दि० 03.07.2019

(अब आवंटित धनराशि रु० पाँच करोड़ तेतालिस लाख, चूड़नपच्चास हजार छः सौ छः मात्र)

वित्त नियंत्रक

कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो०नि०वि०, देहरादून

3-7-2019